संख्या– 1695 /चार–2015 –1(पुरस्कार)/14

प्रेषक,

अनीता सी० मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग लखनऊः दिनांकः 02 ~~जनवरी~~ फरवरी,2015

विषय–बेगम अख्तर पुरस्कार के लिये मागदर्शी सिद्धान्त।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में दादरा, ठुमरी एवं गजल के क्षेत्र में विशेष प्रतिभावान एवं विशिष्ट गायक को **"बेगम अख्तर पुरस्कार"** दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में बेगम अख्तर पुरस्कार के लिये संलग्न मागदर्शी सिद्धान्त तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
(अनीता सी० मेश्राम)
सचिव।

संख्या– (1)/चार–2015 तद्दिनांक

संलग्नक सहित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. निदेशक, संग्रहालय /पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
8. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र , लखनऊ।
9. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र, सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद।
10. सचिव, राज्य ललित कला अकादमी/उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
11. निदेशक, भरारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ।
12. गोपन अनुभाग–1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या–4/2/ 2/2015 –सीएक्स०(1) दिनांक 28 जनवरी,2015 के कम में ।
13. वित्त ई–7 अनुभाग, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव

R>Draft>2014

शासनादेश संख्या–1266/चार–2015–1(पुरस्कार)/14 का संलग्नक
दिनांक 30 जनवरी,2015

बेगम अख़्तर पुरस्कार के मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. **शीर्षक** : यह पुरस्कार "बेगम अख़्तर पुरस्कार" के नाम से जाना जायेगा।
2. **उद्देश्य** : प्रतिवर्ष दादरा, ठुमरी एवं गज़ल के क्षेत्र में विशेष प्रतिभावान विशिष्ट गायक को जिसने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्ट आयाम स्थापित किये हों तथा राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया हो, को सम्मानित करना।
3. **संख्या एवं राशि** : बेगम अख़्तर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष एक सुयोग्य गायक कलाकार को दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत चयनित कलाकार को रू0 5.00 लाख (रूपया पाँच लाख मात्र) नगद धनराशि, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र भेंट स्वरूप प्रदान किया जायेगा।
4. **अर्हताएं** : बेगम अख़्तर पुरस्कार के लिए विचार किये जाने वाले कलाकार के लिए निम्न अर्हताएं आवश्यक हैं :–

   (1) वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी अथवा उसकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश होना चाहिये।

   (2) कलाकार की आयु 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

   (3) कलाकार को अपनी प्रतिभा की दीर्घ साधना एवं श्रेष्ठ उपलब्धि के भरसक निर्विवाद मानदण्डों के आधार पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होनी चाहिए।

   (4) यह पुरस्कार कलाकार के गायन के क्षेत्र में सम्पूर्ण उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया जायेगा न कि किसी एक विशिष्ट संरचना के लिए।
5. **नामाकंन/चयन प्रक्रिया** : बेगम अख़्तर पुरस्कार के लिए नामांकन/चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

   (1) प्रत्येक वर्ष निदेशक, संस्कृति, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्धारित तिथि तक उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, भातखण्डे संगीत संस्थान समविश्वविद्यालय लखनऊ, भारतेन्दु नाट्य अकादमी लखनऊ, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ, गीत एवं नाटक प्रभाग लखनऊ, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र इलाहाबाद, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ, दूरदर्शन केन्द्र लखनऊ , उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों के संगीत संकाय के डीन/हेड तथा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कार्यालय के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर नामांकन हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित तिथि तक यदि किसी अन्य स्रोत से भी नामांकन प्राप्त होते हैं तो उन पर भी विचार किया जा सकता है।

   (2) प्रारूप में संस्तुतकर्ता द्वारा संस्तुत कलाकार की विशिष्ट उपलब्धियों का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(3) प्राप्त नामांकनों का परीक्षण निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा गठित परीक्षण समिति , जिसमें प्रत्येक विधा के दो–दो विशेषज्ञता प्राप्त लोगो को भी रखा जायेगा, द्वारा किया जायेगा।

(4) परीक्षण समिति द्वारा कम से कम 10 उपयुक्त नामों की संस्तुति की जायेगी जिसे निदेशक, संस्कृति द्वारा शासन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

(5) शासन स्तर पर निदेशक, संस्कृति से प्राप्त संस्तुतियों पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु मा0 मंत्री, संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति गठित की जायेगी :–

(i) मा0 मंत्री, संस्कृति विभाग — अध्यक्ष

(ii) प्रमुख सचिव/सचिव संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन। — सदस्य

(iii) निदेशक,संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ — संयोजक सदस्य

(6) चयन समिति द्वारा प्राप्त नामांकनों में से सर्वश्रेष्ठ पॉच कलाकारों के नामों की संस्तुति मा0 मुख्यमंत्री जी को भेजी जायेगी, जिसमें से किसी एक कलाकार का अन्तिम चयन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जायेगा।

6. **सम्मान समारोह** :

(1) शासन द्वारा चयनित कलाकार को बेगम अख़्तर पुरस्कार एक भव्य समारोह में दिया जायेगा।

(2) सम्मान समारोह में गरिमा के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

(3) सम्मान समारोह में भाग लेने हेतु चयनित कलाकार को आने–जाने हेतु वायुयान या प्रथम श्रेणी वातानुकूलित रेल का किराया (निवास स्थान से कार्यक्रम के स्थान तक) अनुमन्य होगा तथा दो दिन के लिए उपयुक्त होटल/अतिविशिष्ट अतिथि गृह में भोजन एवं आवास की व्यवस्था की जायेगी। पुरस्कार हेतु चयनित कलाकार के अत्यन्त वृद्ध/अस्वस्थ होने की दशा में एक सहायक साथ लाने की अनुमन्यता होगी, जिसे चयनित कलाकार के समान ही आने–जाने एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

7. **बजट** : बेगम अख़्तर पुरस्कार के लिए संस्कृति विभाग के आय–व्ययक में आवश्यक बजटीय व्यवस्था की जायेगी।

8. **स्मारिका** : बेगम अख़्तर पुरस्कार सम्मान समारोह के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जायेगा।

आज्ञा से,
20/1/15

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव

बेगम अख्तर पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम :
2. पिता / पति का नाम :
3. जन्मस्थल :
4. जन्मतिथि / आयु :
5. राष्ट्रीयता :
6. पता :
   1. वर्तमान
   2. स्थायी
7. व्यवसाय (सरकारी सेवा में होने की स्थिति में पदनाम सहित उल्लेख किया जाए) :
8. कार्यक्षेत्र (दादरा / गजल / ठुमरी की गायिकी विधा में प्रस्तुति देने का अनुभव) :
9. पूर्व में प्राप्त सम्मान / पुरस्कार का विवरण
10. विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (200 शब्दों से अधिक न हो) :

नोटः सम्पर्क–निदेशक, संस्कृति निदेशालय, नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ
दूरभाष–0522–2286672, वेबसाइट एड्रेस–www.upculture.up.nic.in